निबन्धन सं० पी० टी०-40

बिहार गज़ट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1926 (श०)

(सं० पटना 380) पटना, शनिवार, 24 जुलाई 2004

सं० सी०एस० 1/आर 1-104/91—1969

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

19 जुलाई 2004

विषय—विभागों का पुनर्गठन एवं कार्यपालिका नियमावली में आनुसंगिक संशोधन।

1. प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने प्रशासनिक कार्यक्षेत्रों का अधिक सुस्पष्ट एवं प्रभावकारी बनाने के लिये निम्नलिखित विभागों को पुनर्गठित कर निम्नांकित विषयों का प्रभार दिया जाता है :—

(क) कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची में क्रमांक 12 पर अंकित उच्च शिक्षा विभाग एवं क्रमांक 39 पर अंकित सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग को मिलाकर एक नया विभाग मानव संसाधन विकास विभाग बनाया जायेगा। इसे क्रमांक 12 पर रखा जायगा। इस विभाग के अन्तर्गत निम्न विषय होंगे :—

मानव संसाधन विकास विभाग

(1) विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा।
(2) विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित पुस्तकालय तथा विज्ञान संस्थायें।
(3) विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिये न्यास एवं पूर्ति अग्रस्व।
(4) विश्वविद्यालय वाणिज्य-पोत के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उपबंध तथा राज्य एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सम्बंधित ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विनियमन।
(5) विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि।
(6) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय एवं अवधारण।
(7) अन्तर विश्वविद्यालय सेवा बोर्ड (इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड)।
(8) विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन)।
(9) महाविद्यालय सेवा आयोग (कॉलेज सर्विस कमीशन)।
(10) विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारी/कर्मचारी के संबंध में नीति निर्धारण एवं अन्य सभी प्रशासनिक मामले आदि।

(11) बजट एवं योजना।
(12) उच्च शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
(13) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
(14) विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।
(15) भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्त पोषित और संसद द्वारा विधित: राष्ट्रीय महत्व का संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक या वैज्ञानिक संस्था।
(16) विद्यालय स्तर की शिक्षा (इंटरमीडियट काउंसिल द्वारा संचालित कक्षा 11 एवं 12 तथा सी०बी०एस०ई० एवं आई०सी०एस०ई० सहित)।
(17) इंटरमीडियट काउन्सिल।
(18) प्रशिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कॉलेज)।
(19) जन शिक्षा।
(20) विभागीय बजट एवं योजना।
(21) पुस्तकालय एवं विज्ञान संस्थायें (सरकारी कार्यालय पुस्तकालय रहित)।
(22) विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त इत्यादि पर निर्धारण।
(23) राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का नियंत्रण।
(24) विद्यालय में मध्यान भोजन।
(25) सेकेन्ड्री, प्राथमिक एव वयस्क शिक्षा और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
(26) आदिवासियों जातियां, पिछड़े मुसलमानों एवं अनुसूचित जातियों के छात्रावास भवनों को छोड़कर सेकेन्ड्री, प्राथमिक एव वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
(27) विज्ञान से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

II. कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची के क्रमांक 4 पर अवस्थित राजभाषा विभाग तथा क्रमांक 5 पर अवस्थित संसदीय कार्य विभाग को कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची क्रमांक 1 पर अवस्थित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में सम्मिलित किया जाता है। यह कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची-1 पर यथावत अंकित रहेगा। इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :—

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(1) मंत्रिपरिषद् की बैठक विषयक कार्य।
(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह विभागों से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव से संबोधित पत्र।
(3) सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन।
(4) विकास आयुक्त द्वारा निपटाये जाने वाले विषयों से भिन्न सचिवालय स्तर अंतर्विभागीय संबंधी विषय।
(5) कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव से कृत्य और कर्तव्य संबंधी विषय।
(6) कार्यपालिका नियमावली।
(7) राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कार्य
(8) राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
(9) मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।
(10) मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अपर आप्त सचिवों की नियुक्ति।
(11) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों संसदीय सचिवों की उपलब्धियां।
(12) मुख्य मंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
(13) संस्थाओं को मान्यता प्रदान।
(14) भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का आगमन।
(15) राजचिह्न, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज।
(16) राज्य समारोह का आयोजन।
(17) गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोह।
(18) राज्य अन्त्येष्टि।
(19) राज्य अतिथिशाला (पटना परिसदन में अति महान आगंतुक पक्ष के साथ)।
(20) बिहार भवन।
(21) सचिवालय ग्रंथागार।
(22) राज्य अभिलेखागार।

(23) निगरानी।
(24) संसद निर्वाचन।
(25) राज्य विधान मंडल निर्वाचन।
(26) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3) (ई) तथा 333 के अधीन विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यों का मनोनयन।
(27) बिहार राज्य नागरिक परिषद्।
(28) प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित)।
(29) राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन।
(30) गजेटियट तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।
(31) हिन्दी में सरकारी काम-काज करने के लिये मार्गदर्शन साहित्य की रचना और प्रकाशन।
(32) परिभाषिक शब्दावली का सकलन रचना प्रकाशन एवं प्रचार।
(33) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति सम्पुष्टि तथा प्रो ति के लिये ली जानेवाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की आस्थिति निर्धारण।
(34) सरकारी सेवकों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।
(35) केन्द्र एवं अन्य राज्यों के पास राजभाषा विषयक समन्वय कार्य।
(36) राज़भाषा संबंधी सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन आदि का आयोजन तथा इस हेतु संबंधित संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करना।
(37) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।
(38) हिन्दी प्रगति समिति एवं परामर्शदातृ समितियां।
(39) भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा उर्दू, बंगला तथा उड़ीया में राजकीय साहित्य अनुवाद तथा प्रकाशन।
(40) राजभाषा पत्रिका संबंधी प्रकाशन कार्य।
(41) राजभाषा शोध संस्थान।
(42) विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्यों का समन्वय।
(43) विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन के लिये राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारुप तैयार करना।
(44) विधान सभा एवं विधान परिषद् के सत्रों का आहसात करना और सत्रावसान करना।
(45) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्रों के लिये कार्यक्रम तैयार करना।
(46) विधान सभा एवं विधान परिषद् में विधायी एवं अन्य सरकारी कार्य का आयोजन एवं समन्वय।
(47) विभिन्न विभागों से संबंधित विधान मंडल के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियों का गठन एवं उसका क्रियान्वयन।
(48) विभागों द्वारा विधान मंडल के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण, प्रस्तावों एवं उत्तर, आश्वासनों के कार्यान्वियन आदि की समीक्षा एवं उसका अनुसरण।
(49) विधानमंडल की समितियों की सामान्य रूप से लागू अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई का समन्वय।
(50) विधान मंडल के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकारों एवं प्रभृतियों से संबंधित मामलों, संसदीय प्रणाली और कार्य के सम्बन्ध में परामर्श देना।
(51) विधान मंडल के सदस्य पीठासीन पदाधिकारियों एवं उप-पीठासीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां।
(52) विभिन्न दलों के नेताओं एवं सचेतक के साथ संपर्क।
(53) विधान मंडलीय कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार विभाग से संपर्क।
(54) विधान सभा परिषद् के पटल पर विभिन्न प्रतिवेदनों का विभागों के द्वारा रखा जाना।
(55) गैर सरकारी सदस्य द्वारा संसूचित प्रस्ताव पर सदन में वाद-विवाद के सरकारी समय का आवंटन।
(56) सरकार द्वारा गठित समितियों तथा निकायों के लिये विधान मंडल के सदस्य का मनोनयन।
(57) संसदीय मामलों से संबंधित समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

III. कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची के क्रमांक 15 पर अवस्थित गन्ना विकास विभाग को प्रथम अनुसूची के क्रमांक 14 उद्योग विभाग में शामिल किया जाय। उद्योग विभाग कार्यपालिका नियमावली के प्रथम अनुसूची के क्रमांक 14 पर यथावत रहेगा। इसके विषय निम्न प्रकार होंगे :—

उद्योग विभाग

(1) औद्योगिक नीति का निर्धारण
(2) उद्योग
(3) उद्योग से संबंधित शोध एवं समन्वय कार्य
(4) सभी प्रकार के औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थान के साथ संपर्क।
(5) औद्योगिक प्रांगण, औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला उद्योग केन्द्र
(6) औद्योगिक विकास प्राधिकार
(7) कच्चा सामान की व्यवस्था
(8) लोहा एवं इस्पात
(9) तकनीकी विकास निदेशालय
(10) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम

(11) बिहार वित्तीय निगम
(12) बिहार राज्य रासायनिक एवं भेषजीय (फर्मास्यूटिकल) निगम
(13) बिहार राज्य एलेक्ट्रानिक्स निगम
(14) बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम
(15) बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन लि० (बिटको)
(16) उपेन्द्र महारथी औद्योगिक शिल्प संस्थान
(17) बिहार राज्य लघु उद्योग निगम
(18) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
(19) बिहार हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
(20) बिहार राज्य हस्तकरघा, विद्युत करघा तथा हस्तशिल्प निगम
(21) बिहार राज्य निर्यात निगम
(22) बिहार राज्य वस्त्र निगम
(23) बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम
(24) बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम
(25) बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर लि०
(26) राज्य के बाहर औद्योगिक सम्पर्क कार्यालय
(27) राज्य के अन्दर तथा बाहर औद्योगिक विक्रय केन्द्र
(28) उद्योग विभाग के भवनों तथा सम्पत्तियों का प्रशासनिक प्रसार
(29) उद्योग विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण
(30) ईख अनुसंधान और विकास
(31) ईख सहकारिता।
(32) ईख आपूर्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन
(33) ईख सेस एवं ईख कमीशन का निर्धारण
(34) चीनी कारखानों पर नियंत्रण
(35) बिहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण
(36) चीनी खांडसारी उद्योगों से संबंधित अन्य कार्य
(37) ईख विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण
(38) ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक सुधार।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
सरकार के सचिव।

[illegible]
[illegible]
बिहार गजट (असाधारण), 380—लाईनो—571+500—बी० आर० दास।